राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (A–18) अलेसे– I/1295 **दिनांकः– 20/11/2020**

कार्यालय आदेश

स्व0 श्री आनन्द प्रकाश गहलोत, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I की राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में लेखाकार के पद पर नियुक्ति होने पर जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर (बाद में जिसका नाम बदलकर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर कर दिया गया है) के द्वारा दिनांक 07.01.1973 को मध्यान्ह् पश्चात् कार्यमुक्त करने पर दिनांक 08.01.1973 को उक्त पद पर कार्यग्रहण किया गया था। उक्त सेवा में आने से पूर्व स्व0 श्री गहलोत द्वारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में दिनांक 16.09.1964 से 31.05.1965 तक कनिष्ठ लिपिक के पद पर तथा दिनांक 01.06.1965 से 07.01.1973 तक लेखा लिपिक के पद पर अपनी सेवाएं दी गई थीं, जिसके क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र क्रमांक 11854 दिनांक 18.02.1976 जारी किया गया था। स्व0 श्री गहलोत द्वारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में दी गई उक्त सेवा अवधि को जोड़ने हेतु विभाग में आवेदन किया गया था, लेकिन राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के दिनांक 01.10.1996 से प्रभावी होने तथा स्व0 श्री गहलोत के राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में दिनांक 08.01.1973 को कार्यग्रहण करने के फलस्वरूप पूर्व सेवाओं को जोड़ने का अनुरोध विभाग द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।

स्व0 श्री गहलोत के द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3016/2005 दायर की गई थी, उक्त याचिका में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 08.08.2019 के द्वारा स्व0 श्री गहलोत के द्वारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में लिपिक के रूप में वर्ष 1964 एवं 1973 के मध्य की गई उपरोक्त सेवाओं को पेंशन परिलाभ हेतु जोड़ने के आदेश दिये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 08.08.2019 के विरूद्ध खण्ड पीठ में अपील दायर नहीं करने का प्रशासनिक विभाग के स्तर पर निर्णय भी लिया जा चुका है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3016/2005 के संबंध में जारी आदेश दिनांक 08.08.2019 की अनुपालना में स्व0 श्री आनन्द प्रकाश गहलोत, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के द्वारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में दिनांक 16.09.1964 से 31.05.1965 तक कनिष्ठ लिपिक के पद पर तथा दिनांक 01.06.1965 से 07.01.1973 तक लेखा लिपिक के पद पर की गई सेवा को पेंशन नियम, 1996 के नियम 25 एवं परिशिष्ट VII के अन्तर्गत राज्य सरकार में पेंशन योग्य गणना करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क) (A–18) अलेसे– I/1295 **दिनांकः– 20/11/2020**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पंजीयक, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग प्रथम, जोधपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर।
6. कोषाधिकारी, जोधपुर (शहर)।
7. स्व0 श्री आनन्द प्रकाश गहलोत, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग प्रथम, जोधपुर।
8. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में अपडेट हेतु।
9. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
10. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)